<u>विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न-08 का उत्तर</u>

प्रश्न	**उत्तर**
8(क) क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बतायेंगे कि जनपद-गाजियाबाद के सामूहिक कन्या विवाह योजना में बड़े पैमाने पर हो रही अनियमितताओं पर कब तक रोक लगायेंगे?	जी हॉ। जनपद गाजियाबाद में सम्पन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कतिपय अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त होने पर समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों, जिनका अधिष्ठान शासन स्तर पर व्यवहृत होता है, के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने एवं जॉच अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त ऐसे अधिकारियों, जिनका अधिष्ठान श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के स्तर पर व्यवहृत होता है, के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है, ताकि इस प्रकार की पुनरावृत्ति भविष्य में न हों।
(ख) क्या नियमों को ताक पर रखकर एक ही माता-पिता के 02 पुत्रियों के स्थान पर 03 पुत्रियों को दिखाकर श्रम विभाग से अनुदान लिया गया है, जबकि वास्तविक माता-पिता को कुछ पता ही नहीं है?	जनपद गाजियाबाद में सम्पन्न हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कतिपय शिकायतें संज्ञानित होने पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद के निर्देश पर गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा शिकायत संबंधी सभी तथ्यों की जॉच कराते हुए आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, मा0 उप लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति शासन को पृष्ठांकित की गयी। शासन स्तर पर जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारम्भिक जॉच आख्या के क्रम में आरोपी अधिकारियों का विवरण श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा आरोपी अधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि संबंधित श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के विरूद्ध उनके स्तर से उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है। प्रकरण में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा जॉच अधिकारी नामित किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रचलित है।
(ग) क्या कूटरचित दस्तावेजों को संलग्न कर अनियमितताओं को अंजाम दिया जा रहा हैं?	प्रकरण से संबंधित आरोपी अधिकारियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार संबंधित आरोपी अधिकारियों के प्रकरण में नामित जॉच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र दिये जाने के उपरान्त उस पर प्राप्त उनके उत्तर के परिप्रेक्ष्य में आरोपों के संबंध में

जॉच अधिकारी से जॉच आख्या प्राप्त होने पर, उसके परीक्षणोपरान्त इस बिन्दु के संबंध में पुष्टि की जा सकेगी।

(घ) श्रम विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर पंजीकृत श्रमिकों की जानकारी लेकर उनके नाम से अनुदान राशि हड़प ली गयी है?

उपरोक्तानुसार।

(ड.) जनपद-गाजियाबाद के श्रम विभाग में अनियमितताओं से संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही कब तक करायेंगे?

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

अनिल राजभर
मंत्री
श्रम एवं सेवायोजन विभाग